न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 112/2016/223 आर टी ए

1. मोतीलाल पुत्र बिरबलराम जाति जाट निवासी मलखेड़ा भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांट

बनाम

1. भालसिंह पुत्र दौलतराम जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. पप्पूराम पुत्र दौलतराम जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
3. सुलतान पुत्र दौलतराम जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
4. मथरी पत्नि दौलतराम जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
5. जुगलाल पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
6. काशीराम पि0मु0 सहीराम जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
7. बुधराम पुत्र हरदत जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
8. सन्तलाल पुत्र हरदत जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
9. रामलाल पुत्र हरदत जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
10. दीपचन्द पुत्र हरदत जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
11. प्रमेश्वरी पत्नि ओमप्रकाश जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
12. जयप्रकाश पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

13. चानणराम पुत्र रामचन्द जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
14. सीधाराम पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
15. रामकुमार पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
16. पालाराम पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
17. लिलूराम पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
18. बिरबल पुत्र धन्नाराम (फौत)

18/1 सन्तरो पुत्री बीरबलराम जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

19. धर्मपाल पुत्र नत्थुराम जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
20. वेदप्रकाश पुत्र डुगर जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
21. महावीर पुत्र डूगर जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
22. सुरेन्द्र पुत्र डूगर जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
23. रामप्रताप उर्फ मोहन पुत्र डूगर जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
24. तनसुख पुत्र हेमराज जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
25. काशीराम पुत्र हेमराज जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
26. श्योलाल पुत्र हेमराज जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
27. रामेश्वर पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

28. शेरसिंह पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
29. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा।

——असल रेस्पोडैन्टस

30. रामेश्वर पुत्र बिरबली जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
31. जगदीश पुत्र बिरबली जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
32. रामजीलाल पुत्र बिरबली जाति जाट निवासी मलखेड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

——— तरतीबी रेस्पो0

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 09.07.2015 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा प्र0सं0 107/2008 अनवानी दौलतराम बनाम जुगलाल आदि

उपस्थित :—

श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता अपीलांट

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1

श्री नरेन्द्र किशोर अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 13

श्री कुलदीप बैनीवाल राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 29

निर्णय दिनांकः—05.12.2017

1. प्रकरण के सारगर्भित तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि मृतक दौलतराम वादी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53 आरटीए पेश कर वादग्रस्त भूमि के संबंध मे खाता विभाजन हेतु अनुतोष चाहा गया। मृतक ओमप्रकाश ने इकबालदावा दावा पेश किया तथा अपीलांट के पिता जो वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दिनांक 23.07.08 को पेश किया दौराने वाद दिनांक 29.08.08 को एक माह से कम समय से ही देहान्त हो गया जिस पर वादी के द्वारा प्रतिवादी सं. 13

अपीलांट के पिता के स्थान पर अपीलांट को पक्षकार नही बनाया गया तथा मृतक व्यक्ति के विरूद्ध प्राथमिक डिक्री जारी करवा ली, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि मूलभूत सिद्धांतो के विपरीत है। वादी के द्वारा अपीलांट के पिता के विरूद्ध दिनांक 23.07.08 मे दावा प्रस्तुत किया तथा उनकी मृत्यु दिनांक 29.08.08 को हो गयी उसके पश्चात उनके द्वारा कोई प्रार्थना पत्र बाबत कायम मुकामी का ही पेश नही किया तथा दिनांक 09.07.15 को दावा को प्राथमिक डिक्री करवा लिया है। उक्त वाद मे वादी स्वयं दौलतराम फौत हो चुका है तथा उसके अलावा प्रतिवादी सं. 7 ओमप्रकाश व प्रतिवादी सं. 22 भी फौत हो चुका है जिनकी आज तक कोई कायम मुकामी का प्रार्थना पत्र पेश ही नही किया गया है बावजूद इसके अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दावा को प्राथमिक डिक्री करवा लिया। दावा विभाजन का था तथा वादी दौलतराम फौत हो चुका है। एक मात्र वादी दौलतराम ही दावा मे था ऐसी सूरत मे वाद वादी अबैट हो चुका है मगर अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कोई गौर नही किया कि एक मात्र वादी जो फौत हो चुका है, को अबैट किया जाना चाहिए था। वाद का अपीलांट के पिता के पास कोई सम्मन नही गया तथा उनकी मृत्यु के करीब 8 वर्ष पश्चात वादी के द्वारा दावा को डिक्री करवाया गया है। जिसका इल्म ना तो अपीलांट को था तथा न ही तरतीबी रेस्पो0 को था। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद मे प्रतिवादी सं. 13 की ओर से वकील उपस्थित था। जहां तक अपीलांट का कथन है कि वादी

दौलतराम की मृत्यु हो चुकी है उसके संबंध मे अपीलांट द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किया गया। अपीलांट द्वारा प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। जबकि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के विचाराधीन वाद मे पक्षकार के रूप मे संयोजित होकर विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति जाहिर कर सकते थे। चूंकि दावा खाता विभाजन का था जो कभी अबैट नही हो सकता है। अतः अपील अपीलाण्ट सारहीन होने के कारण खारिज की जावें।

5. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 29 ने अपनी बहस मे कथन किया कि प्रकरण मे विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

6. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने उपरांत निष्कर्ष है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दौलतराम वादी द्वारा दावा प्रस्तुत किया गया था जिसमे प्रतिवादी सं. 13 जो की अपीलांट के पिता है, की मृत्यु दौराने दावा दिनांक 29.08.08 को हो चुकी थी परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी सं. 13 की मृत्यु होने के बाद उसके वारिसान को बतौर पक्षकार संयोजित किये बिना ही दावा मे दिनांक 09.07.15 को एक मृतक पक्षकार के विरूद्ध प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। जिससे न तो प्रतिवादी सं0. 13 के वारिसान अपीलांट व रेस्पो0 सं.18/1 व 30 ता 32 तामील करवाई और न ही साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर दिया गया। अपीलाधीन प्रकरण मे बिना प्रभावित पक्षकारो को सुने तथा बिना विधिवत तामील करवाये विभाजन के वाद मे प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव बाबत आदेश पारित किया गया है जिससे राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नही हो पाई है। जबकि विभाजन के वाद मे समस्त सहखातेदारान की उपस्थिति मे समस्त सहखातेदारान को सुनवाई का अवसर दिया जाकर विभाजन की डिक्री पारित किये जाने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट

आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने के कारण आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 09.07.2015 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय मे इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलाधीन प्रकरण मे वर्णित प्रश्नगत भूमि के समस्त सहकाश्तकारान एवं सहकाश्तकारान की मृत्यु होने के बिन्दू को मध्यनजर रखते हुए उनके उत्तराधिकारगण को बतौर पक्षकार संयोजित किया जाकर समस्त पक्षकारान को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विभाजन के वाद मे प्राथमिक डिक्री जारी कर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 मे विहित प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करते हुए विभाजन हेतु अन्तिम डिक्री पारित करें। विभाजन प्रस्ताव हेतु मौका निरीक्षण की तिथि के संबंध मे तहसीलदार उभय पक्ष को विधिवत रूप से सूचित कर उभय पक्ष की उपस्थिति मे मौका निरीक्षण कर प्रस्ताव तैयार करें। तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहखातेदारान की आपत्तियों/आक्षेपों पर सुनवाई कर नियमानुसार निस्तारण करते हुये विभाजन की अन्तिम डिक्री पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 20.12.2017 को उपस्थित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 05.12.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ